



नैक (NAAC) द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

विज्ञापन हेतु डीएवीपी से अधिमान्य एजेंसी से निविदाएं आमंत्रित करने के संदर्भ में

विश्वविद्यालय की ओर से समय-समय पर जारी की जाने वाली प्रवेश सूचना, रोजगार सूचना एवं निविदा आदि से संबंधित विज्ञापनों को डीएवीपी द्वारा निर्धारित दरों पर प्रकाशित करने हेतु डीएवीपी से संबद्ध विज्ञापन एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इससे संबंधित कुछ शर्तें निम्नानुसार हैं :

विज्ञापन एजेंसी का नाम डीएवीपी के पैनल में शामिल होना चाहिए। एजेंसी के पास आईएनएस की सम्बद्धता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। विज्ञापन एजेंसी पंजीकृत होनी चाहिए। विज्ञापन पर किसी भी प्रकार का कर देय नहीं होगा। विज्ञापन डीएवीपी द्वारा निर्धारित दरों पर ही प्रकाशित किया जाना चाहिए। विज्ञापन का डिजाइन, संशोधन आदि करने का कार्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा। एजेंसी के पास पैन नंबर तथा जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। विज्ञापन प्रकाशन के लिए किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। विज्ञापन के बिलों का भुगतान चेक NEFT के माध्यम से सीधे एजेंसी के खाते में किया जा सकता है। विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद एक सप्ताह के भीतर समाचार पत्रों की प्रतियां कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। उक्त शर्तें पूरी करनेवाली एजेंसी अपनी निविदाएं इस विज्ञापन के 15 दिन के भीतर कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि.वर्धा को भेज सकते हैं।

कुलसचिव